

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

GMS
2020/00038
21-01-20

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम ~~येनी पालन~~ नगाराम ठाट
सा ~~नेहरे की ढाणी~~

~~नेहरे की ढाणी~~

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
रान्

मु.न. 35 / 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12-10-2020	<p>पटवारी हल्का नेहरे की ढाणी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2022 में मौजा नेहरे की ढाणी के खसरा संख्या 205 रकबा 0.0640 बीघा किस्म भूमि 3 मु. बाला पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
22-10-2020	<p>पत्रावली डाक पेश हुई गैर सायल अनुपालने। गैर सायल को जवाब देते भवत दिनांक 29-10-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	

28.10.2020

फतवाबली आज पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित।
गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए एक तरफ
कार्यवाही प्रमल में लाई जाकर फतवाबली प्रमल
सुमार हो। विषय अलग से लिखा जाकर
शामिल फतवाबली हो। विषय खुले न्यायालय
में सुनाया गया। फतवाबली प्रमल सुमार होकर
दफ्तर दाखिल हो।


तहसीलदार विणधरी
जिला बाड़मेर